IJAER/Jan-Feb 2022/Volume-11/Issue-1 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

हरियाणा राज्य में जातीय भेदभाव : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. वीना रानी

सार

भारत में असमानता भारतीय स्वतंत्रता के समय से ही समाज में बहस का विषय रही है। भारतीय असमानता पर इस बहस को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, इस आधार पर जो कि आय या उपभोग य व्यय के आधार पर वर्गों में असमानता है, या जो कि जातियों के बीच असमानता के अलावा और कुछ नहीं है। जाति, धर्म, लिंग, आदि के आधार पर जातियों के बीच, मुख्य रूप से जातियों के बीच यानी अनुसूचित जातियों और गैर–अनुसूचित जातियों के बीच असमानताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को ऐतिहासिक काल से ही गंभीर भेदभाव का सामना करना पडा है – अनुसूचित जातियों के मामले में सामाजिक बहिष्कार और अनुसूचित जनजातियों के मामले में बहिष्कार का सामना करना पड़ा है।

मुख्य शब्दः

असमानता, अनुसूचित जाति, सामाजिक बहिष्कार, अनुसूचित जन–जाति ।

परिचय

2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या 2.54 करोड़ है और जिसमें कुल जनसंख्या का लगभग पांचवां हिस्सा अनुसूचित जाति का है। लगभग 24 लाख अनुसूचित जाति की महिलाएं (हरियाणा की कुल जनसंख्या का 47 प्रतिशत) हरियाणा राज्य में निवास करती हैं। 'दलित वर्ग', 'बाहरी जाति' और 'अछूत' शब्द आमतौर पर अनुसूचित जातियों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, उन्हें 'दलित' शब्द भी प्रयोग में लाया जाता है । जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर सामाजिक विभाजन से अनुसूचित जाति की महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ता है और वर्तमान लिंग, वर्ग और जाति के अंतर के कारण अपने मूल अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, यौन उत्पीड़न, अपहरण और अपहरण आदि जैसे अपराधों की पर्याप्त संख्या हरियाणा में होती है। हरियाणा में अधिकांश दलित ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और

बुनियादी सुविधाओं तक उनकी पहुंच कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में केवल 56 प्रतिशत दलित साक्षर हैं।

'अनुसूचित जाति' शब्द साइमन कमीशन (1927) द्वारा रचित किया गया था। औपनिवेशिक काल के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए 'डिप्रेस्ड क्लास', 'बाहरी जाति' और 'अछूत' शब्द आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। गांधी जी ने उन्हें 'हरिजन' कहा। भारतीय संविधान में उनको अनुसूचित जाति कहा जाता है। भारत में अनुसूचित जनजातियों के साथ–साथ अनुसूचित जातियाँ कुल जनसंख्या का लगभग 24 प्रतिशत हैं। भारत की आजादी के 60 साल बाद भी, भारत में दलित अभी भी कई सामाजिक कुरीतियों के कारण ''गुलाम'' की तरह रहते हैं।

2011 की जनगणना के विवरण के अनुसार, हरियाणा की जनसंख्या 2.54 करोड़ है, जो 2001 की जनगणना के 2. 11 करोड़ के आंकड़े से अधिक है। हरियाणा में कुल अनुसूचित जाति की आबादी 5,113,615 है, जिसमें पुरुष और महिला क्रमशः 2,709,656 और 2,403,959 हैं। हरियाणा की आबादी का लगभग पांचवां हिस्सा अनुसूचित जाति का है। हरियाणा उन राज्यों में शामिल है जहां अनुसूचित जाति के लोग पर्याप्त संख्या में है। विभिन्न सरकारी नीतियों और कानूनी समर्थन के बावजूद, हरियाणा में दलित अभी भी वंचित अवस्था में हैं और अपनी जाति और वर्ग के कारण हाशिए पर हैं। विशेष रूप से दलित महिलाएं, महिला होने, दलित होने और गरीब होने के कारण उनके द्वारा सामना किए गए चहुं तरफा आघात से सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं।

साहित्य की समीक्षा

असरानी (2011) ने रोहतक, हरियाणा में महिला प्रतियोगियों के बारे में सांख्यिकीय आंकड़ों की जांच की और पाया कि एसध्सी महिला प्रतियोगियों का शैक्षिक स्तर गैर एसध्सी से काफी नीचे था और 70 प्रतिशत महिला प्रतियोगी गैर एस/सी परिवारों से थीं। यह भी देखा गया है कि निम्न जाति की महिलाएं अक्सर निम्न वर्ग से आती हैं। अधिकांश गैर S/C महिला उम्मीदवार ऐसे परिवारों से आती हैं जिनके पास व्यवसाय, सेवा या दोनों का पेशा है, जबकि S/C उम्मीदवार विक्रेता परिवारों या श्रम से संबंधित हैं।

चौधरी (2009) ने निष्कर्ष निकाला कि शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, विकास योजनाओं ने हरियाणा में अनुसूचित जातियों की युवा पीढ़ी को आधुनिक व्यवसायों और मूल्य–उन्मुखीकरण को चुनने में मदद की है। फिर भी, ग्रामीण अनुसूचित जातियों में भूमिहीनता और ग्रामीण और शहरी दलितों के मानवाधिकारों का उल्लंघन जारी है।

चक्रवर्ती (2016) ने बताया कि 1998 में एआईडीडब्ल्यूए (ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमन एसोसिएशन) द्वारा आयोजित अस्पृश्यता और दलित महिला उत्पीड़न के खिलाफ सम्मेलन ने दलितों द्वारा सामना किए जाने वाले सामान्यीकृत पितृसत्तात्मक शोषण द्वारा तीव्र जाति उत्पीड़न की समस्या पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को संबोधित किया। महिला प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि उन्हें सम्मानजनक जीवन, समान वेतन, कानूनी सहायता, सरकारी योजनाओं और नीतियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

कुमार एट अल। (2019) ने दिखाया कि पुनर्वितरण नीतियों के उचित कार्यान्वयन के लिए, दलितों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करना एक बुनियादी आवश्यकता है। अत्याचार समुदाय की सामाजिक–आर्थिक गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बाधा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबूतों से यह सुझाव दिया गया था कि हिंसा अपेक्षाकृत बेहतर दलितों पर निर्देशित है और यह दलित गतिशीलता के लिए समाज की प्रतिक्रिया है।

मलिक (2009) ने निष्कर्ष निकाला कि अनुसूचित जाति की अधिकांश महिलाओं की आर्थिक स्थिति खराब थी, भूमि नहीं थी और भौतिक संपत्ति का निम्न स्तर था। अध्ययन 2009 के दौरान हरियाणा के हिसार जिले में किया गया था। अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि हरियाणा में अनुसूचित जाति के लोगों को शायद ही कभी सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनमें से कुछ को अस्पृश्यता का सामना करना पड़ता है और उन्हें सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

हरियाणा में अनुसूचित जाति

हरियाणा में अनुसूचित जाति की प्रमुख 37 श्रेणियां हैं। अनुसूचित जाति की सभी श्रेणियों में लगभग 10 प्रतिशत चमार, जटिया चमार रहगर, रायगर, रामदासी, रविदासी, बलही, बटोई, भटोई, भांबी, चमार–रोहिडास, जाटव, जाटवा, मोची, रामदसिया हैं। चमारों का पारंपरिक व्यवसाय चमड़े और चमड़े के उत्पादों का निर्माण है। इन उपरोक्त पांच जातियों के अतिरिक्त अन्य अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जाति की आबादी का लगभग 10 प्रतिशत है। बाल्मीकि सबसे बड़े सामाजिक रूप से कलंकित दलित जातियों में से एक हैं, जिनकी संख्या अकेले उत्तर प्रदेश में 1 मिलियन से थोड़ा कम है और भारत की आबादी का लगभग 16 प्रतिशत है। वे जाति व्यवस्था के सबसे निचले स्थान पर काबिज हैं। बाल्मीकि का मुख्य पेशा मल–मूत्र निकालना, शौचालय साफ करना, नालों की सफाई करना, कचरे का निपटान करना आदि है। वे आम तौर पर सफाईकर्मी और सीवर क्लीनर होते हैं। तीसरा सबसे

बड़ा अनुसूचित जाति धनक है जो हरियाणा में कुल अनुसूचित जाति की आबादी का 11.3 प्रतिशत है। अन्य में ओड (3.2प्रतिशत) मजहबी (2.7 प्रतिशत) और बाजीगर (2.7प्रतिशत) शामिल हैं।

जाति आधारित भेदभाव

जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे सभी शिक्षण संस्थानों में व्याप्त हैं। उच्च शिक्षा में, भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पहली पीढ़ी, महिलाओं और अन्य निचली जातियों जैसे सामाजिक जातियों में नामांकन में वृद्धि हुई है। जाति के आधार पर उच्च शिक्षा में भेदभाव स्कूल के अनुसूचित जाति भेदभाव से थोड़ा अलग है। जहां उच्च शिक्षा संस्थानों में कॉलेजों के बीच विशाल विविधता के कारण छात्रों को जातिगत भेदभाव, सामाजिक न्याय आदि से संबंधित बहुत सारे मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च विद्यालयों तक अनुसूचित जाति के छात्रों को उनकी जातियों के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

हिंदुओं में, जाति विवाह में एक निर्णायक भूमिका निभाती है क्योंकि यह वह धुरी है जिसके माध्यम से असमान जाति पदानुक्रम पुनः उत्पन्न होते हैं। जाति सजातीय विवाह प्रथागत रूप से एक ही जाति या उप–जाति समूह के भीतर आयोजित किए जाते हैं, जबकि दोनों कबीले जातियों (गोत्र या गोत्र) और गांव या क्षेत्रीय बहिर्विवाह के नियमों का पालन करते हैं। अंतर्जातीय विवाहों को वर्जित माना जाता है, और साथी चयन में व्यक्तिगत स्वायत्तता को आमतौर पर व्यावहारिक वैवाहिक विकल्पों के पक्ष में ओवरराइड किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जाति पदानुक्रम जो अन्यथा नष्ट हो सकते हैं। हालांकि हाइपरगैमस गठबंधनों में अक्सर अलग–अलग क्षेत्र शामिल होते हैं, ऐसे संघों के लिए काल्पनिक कट–ऑफ को चिह्नित करने वाली आमतौर पर एक भौगोलिक सीमा होती हैय इसमें 'एक संपूर्ण भाषाई क्षेत्र के लिए कुछ प्रशासनिक इकाइयाँ' शामिल हो सकती हैं।

भौगोलिक सीमा उन परिवारों के साथ संबंधों को रोकती है जिनकी जाति प्रमाणिकता और स्थिति दूरी के कारण सत्यापित नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, स्थानिक सीमाएं स्वाभाविक रूप से बनाई जाती हैं क्योंकि विवाह गठबंधनों के लिए वांछित कबीले समूह (गोत्र या गोट) सामान्य रूप से एक विशेष क्षेत्र में केंद्रित होते हैं और कहीं और नहीं पाए जाते हैं। आश्चर्य की बात नहीं है, समकालीन भारत में, धर्म और जाति विवाह में एक निर्धारित भूमिका निभाते हैंः 2014 के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में अंतर्जातीय विवाह केवल 5.4 प्रतिशत विवाह करते हैं।

उत्तर भारतीय राज्य हरियाणा में, विशेष रूप से, जाटों, यादवों और अहीरों की प्रमुख–किसान उप–जातियों द्वारा इन जाति–अपमानजनक, लंबी दूरी की शादियों में से अधिकांश की मांग की जाती है। कर्मकाण्डीय रूप से, ये तीनों

जातियाँ ब्राह्मणवादी जाति पदानुक्रम में सबसे निचले शूद्र वर्ण यानी दलितों के ठीक ऊपर स्थित हैं। यह केवल अधिकांश भूमि का स्वामित्व और संख्यात्मक ताकत है जो उन्हें एक आर्थिक और राजनीतिक ताकत बनाती है। विरोधाभासी रूप से, इन जातियों ने, हाल के दिनों में, स्थानीय रूप से निचली जातियों के साथ अपने रिश्तेदारों के अंतर–जातीय विवाह का, गंभीर प्रतिशोध के साथ, एक गांव की पूरी निचली जाति के खिलाफ हिंसा के लिए, गलत जोड़ों के जाति बहिष्कार से लेकर हिंसा तक का विरोध किया है। दलितों के साथ प्रमुख–किसान जातियों के बीच बढ़ती जातिगत संघर्ष और हरियाणा में अंतर–जातीय संबंधों में जोड़ों के खिलाफ पूर्व की हिंसा ने वहां के ग्रामीण समाज का ध्रुवीकरण किया है और किसी भी कथित जाति के उल्लंघन पर विस्फोट के लिए तैयार एक अस्थिर परिदृश्य तैयार किया है।

यह लेख इस जाति–विकृत संदर्भ में भारत के अन्य हिस्सों की दलित या निम्न–जाति की महिलाओं के साथ हरियाणा के प्रमुख–किसान जाति के पुरुषों के लंबी दूरी के विवाह को दर्शाता है। हरियाणा के 75 गांवों में अपने व्यापक शोध के आधार पर, मेरा तर्क है कि ये विवाह, जिसमें पुरुष अपनी प्रथागत जाति विवाह पूल के भीतर से साथी तलाशने के मानदंडों का उल्लंघन करते हैं, स्थानीय अंतर–जातीय विवाहों पर जाति के नियमों और जातिगत प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए चतुराई से किए जाते हैं। . इन विवाहों की लंबी दूरी की प्रकृति दुल्हनों की जाति के बारे में पूछताछ को रोकती है, उनकी जाति के बारे में मनगढ़ंत बातें आसानी से होने देती है, और स्थानीय अंतर–जातीय विवाह के माध्यम से जाति व्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों को विफल करती है। ये गठबंधन, दमनकारी जाति विचारधाराओं को चुनौती देने या कमजोर करने के बजाय, जाति–आधारित पहचान की राजनीति को बढ़ाते हैं और इन दुल्हनों की लैंगिक अधीनता के बढ़े हुए और नए दोनों रूपों के माध्यम से दमनकारी पितृसत्तात्मक विचारधारा को और अधिक मजबूत करते हैं।

निष्कर्ष

अनुसूचित जातियों को ज्यादातर अपमानित, पीट–पीट कर मार डाला जाता है, धमकाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और अंत में मार दिया जाता है। ये मामले इस बात का सबूत हैं कि भारतीय समाज में जाति अभी भी मौजूद है। समाज में अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है जहां उन्हें उच्च जाति द्वारा अपनी जाति के लिए धमकाना आसान हैय उनके बुद्धिमानों को उनकी जाति से आंका जाता है, जहाँ आरक्षण उन्हें शिक्षा आरक्षण के माध्यम से अपनी स्थिति विकसित करने में मदद कर रहा है, वहाँ उच्च जाति के लोग भी हैं जो इसके

खिलाफ हैं और निचली जाति को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे उनसे हीन हैं और वे उनकी तरह कम बुद्धिमान हैं क्योंकि उनके जाति कोटे में वे उनके साथ अध्ययन कर रहे हैं, कोई भी बुद्धिमान, नवीनता और रचनात्मकता नहीं है जो एक अनुसूचित जाति के छात्र के पास है।

संदर्भ

- असरानी, एस., और कौशिक, एस. (2011)। हरियाणा में अनुसूचित जाति की महिलाओं द्वारा देखी जाने वाली समस्याएं। जनजातियों और जनजातियों का अध्ययन, 29–36।
- चौधरी, पी. (2009)। 'पहले हमारी नौकरी फिर हमारी लड़कियां': 'उभरते' दलितों पर प्रमुख जाति धारणाएं। आधुनिक एशियाई अध्ययन, 437–479 ।
- देबाशीष चक्रवर्ती, डीबी (2016)। दलितों पर अत्याचार जिला स्तर के आंकड़े समाज–राज्य की मिलीभगत पर क्या कहते हैं। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 2478–2481 ।
- कुमार, एन. (2019)। संक्रमण में अनुसूचित जाति। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 2548–2549।
- मलिक, बी. (2009)। अस्पृश्यता और दलित महिला उत्पीड़न। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 323–324।
- राव, एस. (2012)। शिक्षा और कार्यबल में दलित। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 2998–3000।